शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक

संख्या-29/2017/119/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0-।

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2017

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत राज्य स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कतिपय आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है। उदाहरणार्थ कुछ आवासों की दीवारें 4 इंच की ही पायी गयी। इसी प्रकार की अन्य कमियां भी दृष्टिगोचर हुई हैं। आवास के निर्माण की गुणवत्ता इस प्रकार की होनी चाहिए कि लाभार्थी कम से कम 30 वर्ष तक उस मकान में सुरक्षित ढंग से रह सके।

2- आवासों का निर्माण यदि दक्ष मिस्त्री से कराया जाता है तो निश्चित रूप से मकान की गुणवत्ता अच्छी होगी। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायकों के माध्यम से आवास निर्माण का मार्ग दर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

3- योजना की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर 5.1.1 (घ) में उल्लेख किया गया है कि ''पक्का मकान- ऐसा मकान है, जो उचित रख-रखाव किए जाने पर मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी-मोटी टूट-फूट को सह सके और कम से कम 30 वर्षो तक चल सके।''

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद/ब्लाक स्तर पर सघन निरीक्षण/अनुश्रवण करते हुए योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 29/2017/119 (1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- ।

1. आयुक्त,ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।